न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 15/2021

1 बाबूलाल पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बिड़दी पत्नी भोमाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी बड़सरावाली ठिकरिया रोड़, वार्ड नम्बर 6 चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 अणची पत्नी फूलसिंह।
3 ग्यारसी पुत्री फूलसिंह।
4 सुभाष पुत्र फूलसिंह।
5 मुकेश पुत्र फूलसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 उप पंजियक नीमकाथाना जिला सीकर।
7 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री फाईनल विरूद्व
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 02.02.21
मुकदमा नम्बर 154/2018 अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 57 / 2021

1 ग्यारसी देवी पत्नी फूलसिंह पत्नी किशनलाल जाति जाट निवासी सालवाड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बिड़दी पत्नी भोमाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी बड़सरावाली ठिकरिया रोड़, वार्ड नम्बर 6 चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 अणची पत्नी फूलसिंह।
3 बाबुलाल पुत्र बिशनाराम
4 सुभाष पुत्र फूलसिंह।
5 मुकेश पुत्र फूलसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 उप पंजियक नीमकाथाना जिला सीकर।
7 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री फाईनल विरूद्व
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 02.02.21
मुकदमा नम्बर 154 / 2018 अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री बलदेव सिंह खण्डेला, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 29.10.2021

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 154/2018 में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलीयों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पत्रावलीयों में प्रथक—प्रथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम चला अन्तर्गत तहसील नीमकाथाना की तन में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 1758 रकबा 1.23 हैक्टेयर अवस्थित है जो प्रतिवादी अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 संयुक्त खाते, कब्जे, काश्त की भूमि है। जो अविभाजित है जिसमें 1/6 हिस्से की खातेदारी अपीलांट के नाम 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम तथा 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 02 लगायत 5 के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है उसके बाबत रेस्पोडेंट संख्या 01 ने विचारण न्यायालय में बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 01 ने मनमाने तरीके से अच्छी से अच्छी भूमि उतरी साईड अपनी बताकर वाद में गलत तथ्य दर्ज कर मनमाने आधार पर अपीलांट का जवाब व काउन्टर क्लेम रिकार्ड में दर्शित नहीं, गिरदावर व पटवारी हल्का से मौके की स्थिति के विपरित व कानूनी प्रावधानों के विपरित सारी कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर इकतरफा बंटवारा प्रस्ताव मंगाकर उसके आधार पर बिना अपीलांट की बहस सुने तथा बिना अपीलांट व वकील अपीलांट की सहमती के मनमाने आधार पर गलत रूप से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय व डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह दोनो अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचाराधीन निर्णय पारित करने मे अपीलांट की कभी सहमती नही रही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ग्यारसी की सम्यक तामील नही हुई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने काउन्टर क्लेम को रिकार्ड पर लिये बिना ही विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी है। विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार द्वारा तैयार नही किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा एक सहकाश्तकार का हिस्सा अलग कर शेष भूमि शामलाती रख दी गई है जो विधि विरूद्व है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोर्डेट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से श्री एस.एन. यादव अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई है। विचाराधीन निर्णय तक इनकी ओर से पैरवी की गई है। विचारण न्यायालय ने इनकी बहस सुनकर आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.12.2020 को तहसीलदार भू अभिलेख नीमकाथाना स्वंय द्वारा तैयार किये गये है। इसकी पुष्टि विभाजन प्रस्तावो पर पटवारी हल्का चला, आई.एल.आर. चला, तहसीलदार स्वंय के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट ग्यारसी को जारी समन दिनांक 08.01.2019 की दुसरी प्रति संलग्न है यह नोटिस दिनांक 23.01.2019 को उपस्थिति हेतु जारी किया गया है। यह नोटिस ग्यारसी के भाई मुकेश की ओर से दिनांक 18.01.2019 को प्राप्त किया गया है। इसके पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा ग्यारसी को दिनांक 16.09.2020 को दिनांक 23.09.2020 को उपस्थिति हेतु पुन नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस की पुश्त पर तामील कुनिन्दा की रिपोट है कि ग्यारसी घर पर नही मिली उसके माता मिली नोटिस लेने से मना कर दिया। उसका मकान पर नोटिस चस्पा किया मकान दायी दिशा में खुलता है। साक्ष्य हस्ताक्षर नही किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय मे अपीलांट ग्यारसी की तामील सम्यक हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना कर अपीलांट की आपत्ति को सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट ग्यारसी द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से श्री एस.एन. यादव अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई है। विचाराधीन निर्णय तक इनकी ओर से पैरवी की गई है। विचारण न्यायालय ने इनकी बहस सुनकर आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.12.2020 को तहसीलदार (भू अभिलेख) नीमकाथाना स्वंय द्वारा तैयार किये गये है। इसकी पुष्टि विभाजन प्रस्तावो पर पटवारी हल्का चला, आई.एल.आर. चला, तहसीलदार स्वंय के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट ग्यारसी को जारी समन दिनांक 08.01.2019 की दुसरी प्रति संलग्न है यह नोटिस दिनांक 23.01.2019 को उपस्थिति हेतु जारी किया गया है। यह नोटिस ग्यारसी के भाई मुकेश की ओर से दिनांक 18.01.2019 को प्राप्त किया गया है। इसके पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा ग्यारसी को दिनांक 16.09.2020 को दिनांक 23.09.2020 को उपस्थिति हेतु पुन नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस की पुश्त पर तामील कुनिन्दा की रिपोट है कि ग्यारसी घर पर नही मिली उसके माता मिली नोटिस लेने से मना कर दिया। उसका मकान पर नोटिस चस्पा किया मकान दायी दिशा में खुलता है। साक्ष्य हस्ताक्षर नही किया। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय मे अपीलांट ग्यारसी की तामील सम्यक हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना कर अपीलांट की आपत्ति को सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर